राजस्थान के संदर्भ में भारतीय संघीय प्रणाली में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था का केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों और राज्य स्वायत्तता पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

हनुमान प्रसाद[1], डॉ. गौरव कुमार शर्मा[2]
[1] शोधार्थी, कला एवं मानविकी संकाय, कैरियर प्वाइंट विश्वविद्यालय, कोटा
[2] शोध पर्यवेक्षक, कला एवं मानविकी संकाय, कैरियर प्वाइंट विश्वविद्यालय, कोटा

सारांश **—वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक व्यापक, संरचनात्मक एवं ऐतिहासिक सुधार के रूप में उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा के माध्यम से कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी, एकीकृत तथा अधिक प्रभावी बनाना है। यह सुधार न केवल कर संरचना में परिवर्तन लाता है, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था के वित्तीय आयामों को भी गहराई से प्रभावित करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय संघीय प्रणाली के संदर्भ में GST के प्रभावों का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों और राज्य स्वायत्तता के परिप्रेक्ष्य में।**

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि GST ने सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि GST परिषद के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीति-निर्माण में सहभागिता और संवाद की एक संस्थागत व्यवस्था विकसित हुई है। इससे निर्णय प्रक्रिया में सामूहिकता और पारदर्शिता बढ़ी है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कर प्रणाली ने कर अनुपालन (Tax Compliance) में सुधार किया है तथा कर चोरी पर नियंत्रण लगाने में सहायता प्रदान की है।

हालाँकि, इसके विपरीत प्रभाव भी सामने आए हैं। GST लागू होने के बाद राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हुई है। राज्यों के पास अब कर दरों और नीतियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहले की तुलना में कम हो गई है, जिससे वे केंद्र पर अधिक निर्भर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, GST मुआवजा व्यवस्था की समय-सीमा समाप्त होने के बाद कई राज्यों के सामने राजस्व असंतुलन की चुनौती भी उभरकर आई है।

राजस्थान के संदर्भ में यह अध्ययन दर्शाता है कि राज्य की पारंपरिक राजस्व संरचना जो मुख्यतः पर्यटन, खनन, कृषि एवं लघु उद्योगों पर आधारित है GST लागू होने के बाद परिवर्तित हुई है। राज्य को प्रारंभिक वर्षों में मुआवजा प्राप्त हुआ, परंतु दीर्घकाल में उसे राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीतियाँ अपनानी पड़ रही हैं। विशेष रूप से MSME क्षेत्र को अनुपालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि पर्यटन क्षेत्र पर कर दरों का मिश्रित प्रभाव देखने को मिला।

अंततः, यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि GST ने भारतीय संघवाद की प्रकृति को पुनर्परिभाषित किया है, जिसमें सहकारी और केंद्रीकृत दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ विद्यमान हैं। अतः आवश्यक है कि GST प्रणाली को अधिक संतुलित, लचीला और राज्य-हितैषी बनाया जाए, ताकि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सुरक्षित रहते हुए राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण और समावेशी विकास को भी सुदृढ़ किया जा सके।

मुख्य शब्द **(*Index Terms—*): GST (वस्तु एवं सेवा कर), संघीय वित्तीय संबंध, राज्य स्वायत्तता, सहकारी संघवाद, राजस्थान अर्थव्यवस्था**

I. प्रस्तावना

भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था में वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कराधान के अधिकार, संसाधनों का आवंटन तथा सार्वजनिक व्यय की जिम्मेदारियाँ केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित रूप से बाँटी जाती हैं। एक मजबूत संघीय ढाँचे के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, ताकि वे अपने क्षेत्रीय विकास और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बना सकें।

इसी संदर्भ में 1 जुलाई 2017 को लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत के कर इतिहास में एक ऐतिहासिक और व्यापक सुधार के रूप में सामने आया। GST ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट

(VAT), सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को एकीकृत कर एक साझा कर प्रणाली स्थापित की। इसका प्रमुख उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, करों के दोहराव (cascading effect) को समाप्त करना तथा पूरे देश में एक समान बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देना था। "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा के माध्यम से GST ने न केवल आर्थिक एकीकरण को मजबूत किया, बल्कि व्यापार और उद्योग के लिए एक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया।

हालाँकि, इस महत्वपूर्ण सुधार के साथ कई नई चुनौतियाँ भी सामने आईं। GST लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। जहाँ एक ओर GST परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्ति में कमी आई, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ा। राज्यों को अब कर दरों और नीतियों के निर्धारण में पहले की तुलना में कम स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे उनकी केंद्र पर निर्भरता बढ़ी है।

राजस्थान जैसे राज्य, जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन, खनन, कृषि एवं लघु उद्योगों पर आधारित है, GST व्यवस्था के प्रभावों को विशेष रूप से अनुभव करते हैं। इस राज्य में GST के कारण राजस्व संरचना में परिवर्तन आया है, जिससे विकास योजनाओं और व्यय प्रबंधन पर भी प्रभाव पड़ा है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि GST के प्रभावों का विश्लेषण क्षेत्रीय संदर्भ में किया जाए, ताकि केंद्र–राज्य संबंधों और राज्य स्वायत्तता पर इसके वास्तविक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

II. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के माध्यम से भारतीय संघीय ढाँचे में उत्पन्न हुए वित्तीय और नीतिगत परिवर्तनों का गहन विश्लेषण करना है। विशेष रूप से यह अध्ययन केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों तथा राज्यों की स्वायत्तता पर GST के प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब GST ने पारंपरिक कराधान प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है, तब इसके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

इस शोध के अंतर्गत पहला उद्देश्य यह है कि GST लागू होने के बाद केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों में आए परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाए। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार कर संग्रह, राजस्व वितरण तथा वित्तीय संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव आया है, और इससे संघीय संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा है।

दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य स्वायत्तता पर GST के प्रभाव का अध्ययन करना है। GST लागू होने के पश्चात राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्ति में जो कमी आई है, उसका उनकी नीतिगत स्वतंत्रता, वित्तीय निर्णय क्षमता तथा विकास योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका विश्लेषण इस अध्ययन का प्रमुख भाग है। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि क्या GST ने राज्यों की केंद्र पर निर्भरता को बढ़ाया है।

तीसरा उद्देश्य राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में इन प्रभावों का मूल्यांकन करना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की संरचना अन्य राज्यों से भिन्न है, जिसमें पर्यटन, खनन, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि GST ने इन क्षेत्रों तथा राज्य की समग्र राजस्व प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित किया है।

अंततः, इस शोध का एक प्रमुख उद्देश्य GST व्यवस्था में सुधार हेतु व्यावहारिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है। इसके अंतर्गत यह सुझाव दिए जाएंगे कि किस प्रकार GST प्रणाली को अधिक संतुलित, लचीला और राज्यों के हितों के अनुकूल बनाया जा सकता है, ताकि संघीय ढाँचे को मजबूत करते हुए आर्थिक विकास को भी गति दी जा सके।

III. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के प्रभावों का व्यापक एवं गहन मूल्यांकन किया गया है। चूँकि यह विषय नीतिगत, संरचनात्मक तथा सैद्धांतिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग इस अध्ययन के लिए उपयुक्त माना गया है।

इस शोध में प्रयुक्त आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्टें, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज, GST परिषद की बैठकों के विवरण, आर्थिक सर्वेक्षण, नीति आयोग की रिपोर्टें तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्र और जर्नल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित विषय पर उपलब्ध पुस्तकों, सरकारी वेबसाइटों और प्रामाणिक ऑनलाइन स्रोतों का भी उपयोग किया गया है, जिससे अध्ययन को व्यापकता और विश्वसनीयता प्रदान की जा सके।

इस अध्ययन में अपनाई गई पद्धति मुख्यतः वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) है। वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत GST व्यवस्था, भारतीय संघीय ढाँचा, तथा केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों की संरचना का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है। वहीं, विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से GST के लागू होने के पश्चात उत्पन्न परिवर्तनों, चुनौतियों तथा प्रभावों का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

राजस्थान के संदर्भ में, राज्य की आर्थिक संरचना, राजस्व स्रोतों तथा GST के पश्चात हुए परिवर्तनों का विशेष विश्लेषण किया गया है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर इसके प्रभावों को समझा जा सके।

हालाँकि, यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय डेटा संग्रह शामिल नहीं है, जो इसकी एक सीमितता (limitation) मानी जा सकती है। इसके बावजूद, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह अध्ययन विषय की समग्र समझ विकसित करने का प्रयास करता है और नीति-निर्माण के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

IV. भारतीय संघवाद और वित्तीय संरचना

भारतीय संघवाद को सामान्यतः "अर्ध-संघीय" (Quasi-Federal) व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएँ विद्यमान हैं। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, किंतु आपातकालीन परिस्थितियों, वित्तीय संसाधनों के नियंत्रण तथा नीति-निर्माण में केंद्र की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक सशक्त मानी जाती है। यही कारण है कि भारतीय संघवाद में केंद्र का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जाता है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों और कार्यों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेल आदि विषय शामिल हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है। राज्य सूची में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन जैसे विषय आते हैं, जिनका प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वहीं, समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, श्रम आदि विषय शामिल हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है।

वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें कराधान के अधिकार, राजस्व का संग्रहण तथा संसाधनों का वितरण शामिल होता है। संविधान के अनुसार, कुछ कर केवल केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ केवल राज्यों द्वारा, जबकि कुछ करों को साझा रूप से लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया जाता है, जिससे राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

हालाँकि सैद्धांतिक रूप से यह व्यवस्था संतुलित प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता अधिक देखी जाती है। कई राज्यों के पास अपने संसाधनों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण उन्हें केंद्र सरकार से अनुदान, करों में हिस्सेदारी तथा अन्य वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को प्रभावित करती है और उनके स्वतंत्र नीति-निर्माण की क्षमता को सीमित कर सकती है।

इस प्रकार, भारतीय संघवाद की वित्तीय संरचना में संतुलन बनाए रखना एक सतत *चुनौती और आवश्यकता** है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करने तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, राज्यों की राजस्व-सृजन क्षमता को बढ़ाने, वित्तीय विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने तथा संस्थागत तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने से संघीय व्यवस्था को अधिक संतुलित, उत्तरदायी और सशक्त बनाया जा सकता है।

V. GST व्यवस्था: एक संक्षिप्त परिचय:

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, जिसका उद्देश्य देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाना था। GST ने "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा को साकार करते हुए केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को एकीकृत ढांचे में समाहित किया।

मुख्य विशेषताएँ:

1. एकीकृत कर प्रणाली: GST ने पहले से लागू कई अप्रत्यक्ष करों जैसे VAT, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर आदि को समाप्त कर एक एकल कर प्रणाली स्थापित की। इससे

करों की बहुलता (multiplicity of taxes) और करों के दोहराव (cascading effect) को कम किया गया, जिससे व्यापार करना अधिक आसान हुआ।

2. CGST, SGST, IGST संरचना:
GST को तीन भागों में विभाजित किया गया है

- CGST (Central GST): केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- SGST (State GST): राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- IGST (Integrated GST): अंतरराज्यीय व्यापार और आयात-निर्यात पर लगाया जाता है।
- यह संरचना केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संतुलित बंटवारे को सुनिश्चित करती है।

3. गंतव्य-आधारित कर प्रणाली: GST एक destination-based tax है, अर्थात् कर उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग होता है। इससे उपभोग करने वाले राज्यों को अधिक लाभ मिलता है और उत्पादन आधारित कर प्रणाली की असमानताएँ समाप्त होती हैं।

4. GST परिषद की स्थापना: GST के प्रभावी संचालन और निर्णय-निर्माण के लिए GST परिषद का गठन किया गया। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है तथा कर दरों, छूटों और नीतिगत सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। यह सहकारी संघवाद का एक सशक्त उदाहरण है।

5. कर प्रणाली में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण: GST पूरी तरह से IT-आधारित प्रणाली है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान ऑनलाइन किए जाते हैं। इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है और कर चोरी पर नियंत्रण संभव हुआ है।

VI. केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों पर GST का प्रभाव:

वस्तु एवं सेवा कर (GST), जिसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया, ने भारतीय संघीय वित्तीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इसके प्रभावों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में समझा जा सकता है।

6.1 सकारात्मक प्रभाव

(i) सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism): GST के अंतर्गत GST परिषद एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कर दरों, नीतियों और सुधारों पर निर्णय लेती हैं। इससे संवाद, सहमति और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला है, जो भारतीय संघवाद को मजबूत करता है।

(ii) राष्ट्रीय बाजार का निर्माण: GST ने विभिन्न राज्यों के बीच कर संबंधी बाधाओं को समाप्त कर दिया है। पहले अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कर संरचनाएँ थीं, जिससे व्यापार में जटिलता और लागत बढ़ती थी। अब एक समान कर व्यवस्था के कारण पूरे देश में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है, जिससे व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

(iii) पारदर्शिता और कर अनुपालन: GST एक डिजिटल प्रणाली पर आधारित है, जिसमें GST नेटवर्क (GSTN) के माध्यम से सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी है और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। साथ ही, करदाताओं के लिए रिटर्न फाइलिंग और भुगतान की प्रक्रिया भी सरल हुई है।

6.2 नकारात्मक प्रभाव

(i) राज्य स्वायत्तता में कमी: GST लागू होने के बाद राज्यों ने VAT, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर आदि पर अपना नियंत्रण खो दिया। इससे उनकी स्वतंत्र कर नीति बनाने की क्षमता सीमित हो गई और वे एक साझा कर ढांचे पर निर्भर हो गए।

(ii) कराधान का केंद्रीकरण: हालाँकि GST सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, फिर भी कर निर्धारण में केंद्र का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। इससे कराधान शक्तियों का आंशिक केंद्रीकरण हुआ है, जो संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

(iii) राजस्व अनिश्चितता: GST के प्रारंभिक वर्षों में कई राज्यों को राजस्व संग्रह में गिरावट का सामना करना पड़ा। इससे उनकी वित्तीय योजना और बजट संतुलन प्रभावित हुआ।

(iv) मुआवजा (Compensation) पर निर्भरता: राज्यों को GST लागू होने के बाद 5 वर्षों तक राजस्व हानि की भरपाई हेतु मुआवजा दिया गया। इससे अल्पकाल में राहत मिली,

लेकिन दीर्घकाल में राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ने की आशंका भी उत्पन्न हुई।

निष्कर्ष:

GST ने केंद्र–राज्य संबंधों में सहयोग और एकरूपता को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ ही राज्य स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता से जुड़ी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

VII. राज्य स्वायत्तता पर GST का प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर (GST), जिसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया, ने भारतीय संघीय ढांचे में राज्य स्वायत्तता को कई स्तरों पर प्रभावित किया है। यद्यपि इसका उद्देश्य कर प्रणाली को एकीकृत करना था, परंतु इसके परिणामस्वरूप राज्यों की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएँ भी उत्पन्न हुई हैं।

7.1 नीति निर्माण में सीमाएँ

GST लागू होने के बाद राज्यों की कर निर्धारण संबंधी स्वतंत्रता में कमी आई है। पहले राज्य अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार VAT, एंट्री टैक्स आदि की दरें तय कर सकते थे, परंतु अब कर दरों का निर्धारण मुख्यतः GST परिषद द्वारा किया जाता है। इससे राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनाने की क्षमता सीमित हो गई है।

7.2 वित्तीय निर्भरता में वृद्धि: GST के अंतर्गत राज्यों की आय का एक बड़ा हिस्सा अब साझा कर प्रणाली पर निर्भर हो गया है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय हस्तांतरण (जैसे अनुदान और करों का बंटवारा) राज्यों के बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे राज्यों की आत्मनिर्भर वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है और उनकी केंद्र पर निर्भरता बढ़ी है।

7.3 राजनीतिक संतुलन में बदलाव: GST परिषद में केंद्र और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावशाली मानी जाती है। परिषद में लिए गए निर्णयों का राज्यों की नीतियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे राजनीतिक संतुलन में परिवर्तन देखा जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में राज्यों की प्राथमिकताओं को पूर्ण रूप से स्थान नहीं मिल पाता।

निष्कर्ष:

GST ने जहाँ एक ओर कर प्रणाली को सुव्यवस्थित और एकीकृत बनाया है, वहीं दूसरी ओर राज्य स्वायत्तता को सीमित करने वाली प्रवृत्तियों को भी जन्म दिया है। इसलिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य मिलकर संतुलन बनाए रखें, ताकि संघीय ढांचा मजबूत बना रहे और राज्यों की आवश्यकताओं का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

VIII. राजस्थान के संदर्भ में GST का प्रभाव

राजस्थान की अर्थव्यवस्था विविध आधारों पर टिकी हुई है, जिसमें पर्यटन, खनन, कृषि तथा MSME क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं। GST लागू होने के बाद इन सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिला है, जिससे राज्य की वित्तीय संरचना और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

8.1 राजस्व संरचना पर प्रभाव: GST लागू होने से पहले राजस्थान को वैट (VAT), प्रवेश कर तथा खनन करों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था। ये कर राज्य के स्वतंत्र वित्तीय स्रोत थे, जिन पर राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण था। हालांकि, GST लागू होने के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए गए और एकीकृत कर प्रणाली लागू हुई। इससे राज्य की कर संग्रहण संरचना में बदलाव आया और अब उसे केंद्र एवं अन्य राज्यों के साथ साझा राजस्व पर निर्भर होना पड़ा। परिणामस्वरूप, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता में आंशिक कमी देखी गई।

8.2 पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव: राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र GST से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल सेवाओं पर लागू GST दरों ने सेवाओं की लागत को प्रभावित किया। विशेष रूप से उच्च श्रेणी के होटलों पर अधिक दरों के कारण पर्यटन महंगा हुआ, जिससे कुछ मामलों में पर्यटकों की संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि, कर प्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता आने से दीर्घकाल में उद्योग को लाभ मिलने की संभावना भी बनी रही।

8.3 MSME क्षेत्र पर प्रभाव: MSME क्षेत्र को GST के प्रारंभिक चरण में अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जटिल रिटर्न प्रक्रिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी का अभाव और बढ़ती अनुपालन लागत प्रमुख चुनौतियाँ थीं। लेकिन समय के साथ डिजिटल प्रणाली और सरलीकरण उपायों के कारण इस क्षेत्र को लाभ मिलने लगा। इससे पारदर्शिता बढ़ी और व्यवसायों का औपचारिकरण हुआ।

8.4 राजस्व घाटा और मुआवजा: GST लागू होने के बाद संभावित राजस्व हानि की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को मुआवजा देने की व्यवस्था की। राजस्थान को भी प्रारंभिक वर्षों में यह मुआवजा प्राप्त हुआ, जिससे उसकी वित्तीय स्थिरता बनी रही और विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

IX. चुनौतियाँ

GST व्यवस्था ने भारत की कर प्रणाली को सरल और एकीकृत बनाया है, लेकिन इसके साथ ही राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी उभरकर आई हैं।

1. राज्य स्वायत्तता में गिरावट: GST लागू होने के बाद राज्यों की स्वतंत्र कर निर्धारण की शक्ति सीमित हो गई है। पहले राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर दरों में परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन अब अधिकांश अप्रत्यक्ष करों के निर्णय GST परिषद के माध्यम से लिए जाते हैं। इससे राज्यों की नीतिगत स्वायत्तता में कमी आई है।
2. राजस्व असमानता: GST के तहत राजस्व का वितरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिससे कुछ राज्यों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता है। राजस्थान जैसे राज्यों, जिनकी आय पारंपरिक करों पर निर्भर थी, को नए ढांचे में संतुलन स्थापित करने में कठिनाई हुई है। इससे राज्यों के बीच राजस्व असमानता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
3. GST परिषद में शक्ति असंतुलन: GST परिषद में केंद्र और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन केंद्र का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। निर्णय प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण राज्यों की आवाज़ कभी-कभी सीमित हो सकती है, जिससे संघीय संतुलन प्रभावित होता है।
4. मुआवजा समाप्त होने के बाद वित्तीय दबाव: GST लागू होने के बाद केंद्र ने राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए एक निश्चित अवधि तक मुआवजा दिया। लेकिन इस अवधि के समाप्त होने के बाद राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। अब उन्हें अपने आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने और व्यय प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना पड़ रहा है।
5. कमजोर राज्यों पर अधिक प्रभाव: आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर GST का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा है। सीमित औद्योगिक आधार और कम कर संग्रहण क्षमता के कारण ऐसे राज्यों के लिए नई कर व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बन गया है। राजस्थान को भी इस संदर्भ में संतुलित रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि वह दीर्घकाल में वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।

X. सुधार हेतु सुझाव

1. GST व्यवस्था को अधिक प्रभावी, संतुलित और राज्यों के हितों के अनुरूप बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं, विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों के संदर्भ में।
2. राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता: GST के तहत राज्यों की कर निर्धारण की स्वतंत्रता सीमित हो गई है। अतः आवश्यक है कि राज्यों को कुछ करों या उपकर (cess) में सीमित लचीलापन प्रदान किया जाए, ताकि वे अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व बढ़ा सकें। इससे संघीय ढांचे में संतुलन बना रहेगा।
3. GST परिषद में संतुलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया: GST परिषद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को और अधिक न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता है। निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों की आवाज़ को समान महत्व मिल सके। सहमति आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत करना संघवाद की भावना को सुदृढ़ करेगा।
4. राजस्व मुआवजा व्यवस्था का पुनर्गठन; GST मुआवजा अवधि समाप्त होने के बाद कई राज्यों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि मुआवजा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जरूरतमंद तथा राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्यों के लिए इसे आंशिक रूप से जारी रखा जाए। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता बनी रह सकेगी।
5. राज्य-विशिष्ट नीति विकल्प: भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक समान कर दरें सभी राज्यों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं हो सकतीं। इसलिए राज्यों की आर्थिक संरचना, जैसे राजस्थान में पर्यटन और खनन आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों में विशेष छूट या दरों में लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. डिजिटल क्षमता का विकास और MSME को सहायता: GST प्रणाली पूर्णतः डिजिटल है, जिससे छोटे व्यापारियों और MSME क्षेत्र को प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः सरकार को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरल पोर्टल, हेल्पडेस्क और स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित कर MSME को सशक्त बनाया जा सकता है। इससे न केवल अनुपालन आसान होगा, बल्कि कर संग्रहण में भी वृद्धि होगी।

XI. निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत के कर सुधारों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत कर "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा को साकार किया है। GST के माध्यम से कर संरचना में पारदर्शिता, करों के दोहराव में कमी तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं में सरलता आई है, जिससे समग्र आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है।

हालाँकि, इस व्यवस्था ने केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। राज्यों की स्वतंत्र कर निर्धारण की शक्ति सीमित हो गई है और वे अब काफी हद तक साझा राजस्व प्रणाली तथा केंद्र से मिलने वाले हस्तांतरण पर निर्भर हो गए हैं। इससे राज्य स्वायत्तता में कमी और वित्तीय निर्भरता में वृद्धि जैसे मुद्दे उभरकर सामने आए हैं।

राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो GST ने राज्य की पारंपरिक राजस्व संरचना को प्रभावित किया है, जो पहले वैट, खनन कर और अन्य स्थानीय करों पर आधारित थी। नई व्यवस्था में राज्य को राजस्व संग्रह के लिए GST पर निर्भर होना पड़ा है, जिससे उसे अपनी वित्तीय नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना पड़ा। प्रारंभिक वर्षों में मुआवजा व्यवस्था ने कुछ राहत प्रदान की, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद राज्य को आत्मनिर्भर वित्तीय रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।

अतः यह आवश्यक है कि GST प्रणाली को अधिक संतुलित, लचीला और राज्यों के अनुकूल बनाया जाए। राज्यों को सीमित वित्तीय स्वतंत्रता, परिषद में संतुलित प्रतिनिधित्व और आवश्यकता अनुसार मुआवजा तंत्र की पुनर्संरचना जैसे कदम संघीय ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। इससे न केवल केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, बल्कि समग्र आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

संदर्भ

[1] राव, एम. गोविंदा, और निर्विकार सिंह। जीएसटी एंड इंडियन फेडरलिज्म: एन एनालिटिकल रिव्यू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2020।

[2] सिंह, निर्विकार। फेडरलिज्म एंड फिस्कल ऑटोनॉमी इन इंडिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019।

[3] केलकर, विजय। जीएसटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी स्टडी। भारत सरकार रिपोर्ट, 2018।

[4] संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)। जीएसटी फेडरलिज्म पर मॉडल विश्लेषण। यूपीएससी, 2021।

[5] भारत सरकार। संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016। विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2016।

[6] जीएसटी परिषद सचिवालय। जीएसटी परिषद की रिपोर्टें और सिफारिशें। भारत सरकार, विभिन्न वर्ष।

[7] भारतीय रिज़र्व बैंक। राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन। आरबीआई प्रकाशन, नवीनतम संस्करण।

[8] नीति आयोग। भारत में वित्तीय संघवाद: मुद्दे और चुनौतियाँ। भारत सरकार, 2017।

[9] जैन, आर. के। भारत में वस्तु एवं सेवा कर: क्रियान्वयन और प्रभाव। मैकग्रा हिल एजुकेशन, 2019।

[10] शर्मा, हिमांशु। भारत में राज्य वित्त पर जीएसटी का प्रभाव। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 55, संख्या 12, 2020, पृष्ठ 45–52।